आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 167/इंदौर /2011
निर्धारण वर्ष : 2004-05

सहायक आयकर आयुक्त 2 (1), इंदौर	बनाम	डॉ. राजीव चौधरी, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीकेपीसी 5729 के		

प्रत्याक्षेप सं. 55/ इंदौर/2011
(आ.अ.सं. 167/इंदौर /2011 से उद्भूत)
निर्धारण वर्ष : 2004-05

डॉ. राजीव चौधरी, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 2 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीकेपीसी 5729 के		

राजस्व की ओर से :	श्री राजीब जैन, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारिती की ओर से :	श्री अरूण पाडलिया, सीए

सुनवाई तिथि :	29.11.2018
उद्घोषणा तिथि :	02.01.2019

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2004-05 से संबंधित राजस्व की यह अपील तथा निर्धारिती द्वारा प्रत्याक्षेप आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के आदेश दिनांक 30.05.2011 के विरुद्ध निदेशित हैं ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस अपील में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग की यह अपील पोषणीय नहीं है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सकें ।

4. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है । हमने पाया कि इस प्रकरण में अंतर्ग्रस्त कर प्रभाव विनिहित सीमा अर्थात 20 लाख से कम है जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 में निहित है । आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस संबंध में “कर प्रभाव” का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरूध्द अपील दाखिल करना आशयित है, को घटाया गया होता । यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई

ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है । हमने इसके अतिरिक्त पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 13, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा ।

> *" यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा और यह भूतलक्षी रूप से लंबित एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा । ऊपर परिच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट कर सीमा के नीचे की लंबित अपील को वापिस लिया जाए/ दबाव नहीं डाला जाए । "*

4. आक्षेपित प्रकरण में, हमने पाया कि विवादाधीन मुद्दा1 रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस तथ्य की दृष्टि में, अनुदेश के अनुसार राजस्व को इस अपील पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त विद्वान विभागीय प्रतिनिधि यह साबित करने में असफल रहे है कि यह प्रकरण सीबीडीटी परिपत्र में उल्लिखित अपवाद खंड में आता है । अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते है क्योंकि हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198 (एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ इंकम टैक्स बनाम एस.आर.एम.बी डेयरी फार्मिंग (प्रा) लि. के प्रकरण में सिविल अपील सं. 19650/2017 में राजस्व की अपील खारिज करते समय आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-III बनाम सूर्या हर्बल्स लि. के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश न्यायपीठ निर्णय का अनुसरण किया है और अभिधारित किया है कि परिपत्र लंबित मामलों पर भी लागू होगा । तदनुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते है ।

<u>प्रत्याक्षेप सं. 55/इंदौर/2011</u>

5. यह पाया गया है कि निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप 22 दिनों से कालबाधित है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने विलंब के लिए कारण दर्शाते हुए विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया है । इस आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है । आवेदन पर विचार करने पर हमने पाया कि निर्धारिती द्वारा प्रत्याक्षेप दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारणों से है, अतः हम इस विलंब को माफ करते है तथा प्रत्याक्षेप सुनवाई हेतु स्वीकार करते हैं । यद्यपि, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्याक्षेप सं. 03/इंदौर/2018 पर दबाव नहीं डाला गया क्योंकि इस मुद्दे पर राजस्व द्वारा दाखिल अपील सं. 167/इंदौर/2011 में अंतर्ग्रस्त कर प्रभाव सीबीडीटी परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 में विनिहित सीमा अर्थात 20 लाख से कम है । अतः यह प्रत्याक्षेप दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है ।

6. परिणामतः, राजस्व की अपील तथा निर्धारिती का प्रत्याक्षेप खारिज किए जाते हैं ।

आदेश 02.01.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 02.01.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल